

अति आवश्यक/अविलंब

आज ही जारी हो।

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-1/एम-14/22083/2024/40 दिनांक:- 01/02/2024  
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
सीकर।

विषय:- श्री महेश चन्द्र सोनी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, सेवा निवृत्त के पेंशन प्रकरण के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक पी.आर. 5 पीएफ 86 के 14/2023 दिनांक 01.09.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि पेंशन विभाग द्वारा श्री महेश चन्द्र सोनी वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, सेवा निवृत्त के प्रकरण में आप द्वारा आज दिवस तक क्या कार्यवाही की गयी है। यदि कार्मिक की पेंशन स्वीकृत हो गयी है अथवा नहीं के संबंध में पेंशन विभाग द्वारा प्रेषित उपरोक्त पत्र के संबंध में आप द्वारा की गयी कार्यवाही से निदेशालय को आज ही कार्यलय छोड़ने से पूर्व वस्तुस्थिती के साथ सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें साथ ही आपको अवगत करवाया जाता है। कि दिनांक 02.02.2024 को माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण प्रतिबद्ध है।

21.2.24  
निदेशक(अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-1/एम-14/22083/2024/40 दिनांक:- 1/2/2024

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप विधी परामर्शी मुख्यालय।
2. श्री विभुति भुषण, महाअधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन सीकर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है की पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
6. रक्षित/गार्ड पत्रावली

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर